फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री करण शर्मा निवासी गांव बुझड़ा पो0 कुंदवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 51/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 01.07..2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :– आरटीआई/02/अपील –51/2025/296 दिनांक 17.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री करण शर्मा पिता भवानीशंकर शर्मा निवासी बुझड़ा पो0 कुन्दवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित दिनांक 16.04.2025 ऑनलाईन क्रमांक 24423368795994 का इस कार्यालय हाजा को दिनांक 16.04.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना इस कार्यालय पत्र क्रमांक सू0अ02005/02/2025/194 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सू0अ02005/02/2025/194 दिनांक 12.05.2025 से सूचित किया गया और प्राप्त सूचना से अपीलार्थी के असन्तुष्ट होने पर कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार अवलोकन कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखे जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)